

2023/249

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)


तलत- सहायक कलक्टर मुकाम- डीडवाना

:- सराज खां पुत्र सुल्तान खां जाति कायमखानी निवासी कटलावास, कुचामन रोड़ डीडवाना, तहसील डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान वगै०।

बनाम्

ण :- जैतून बानों पत्नि स्व० यासीन खां जाति कायमखानी निवासी निमोद, तहसील मौलासर, जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरा।

मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...108... सन्-.....2023.

क्र. हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
.2023	<p>प्रार्थी सराज खां पुत्र सुल्तान खां जाति कायमखानी निवासी कटलावास, कुचामन रोड़ डीडवाना, तहसील डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण जैतून बानों पत्नि स्व० यासीन खां जाति कायमखानी निवासी निमोद, तहसील मौलासर, जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरा के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी मो० अली शैरानी को सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद निमोद, पटवार हल्का-निमोद के खसरा नम्बर 937 रकबा 27 बीघा अर्थात 4.3700 हैक्टे० भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।</p> <p>नोट :-</p> <ol style="list-style-type: none"> उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नहीं रहेगा। प्रार्थी पक्ष सी०पी०सी० के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनांक 16.08.2023 को पेश हो। <p>सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)</p>	<p>21/08/23</p> <p>3-8</p> 

-8-2023

जारी के आदेश पर पत्रावली आज प्रेष हुई।
 प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
 प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जिरिये डिफाई पक्षकारों के प्रत्येक का प्रतीनाम के फर्द के कारण पत्र प्रार्थना पत्र के पत्रावली पत्र रखा है प्रार्थना पत्र जरिये विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाया जावे।
 प्रार्थी को अस्थाई सुनना पत्र के रेकर्ड का अवलोकन दिखाना

(2)

XXXX
आधी आपने आपका पत्र को पलका नहीं पाह रहा है
ऐसी स्थिति में तत्काल आपका पत्र जरूर भिज जाए
ब्याजिन बिना अगर ही
निर्दिष्ट सुनाया गया।
पत्रावली आपने गलत करे हुए देखे जाते हैं

सहायक कलक्टर
डोडवावा (नागौर)